<u>उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा</u>

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 08.05.2024

सेवा में,

सर्वश्री स्काई प्लास्ट माइनिंग & मिनरल्स,
सेझा चूनापत्थर खदान,
मकान न . **95/193**, इश्वरीपुरा वार्ड, कटनी,
जिला - कटनी, मध्य प्रदेश -**483501**
ईमेल – **skyplast19@gmail.com**

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में आपकी सेझा चूनापत्थर खान (6.552 हेक्टेयर), माइन कोड – 38MPR47075 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 23.03.2024 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री प्रवीण गुप्ता, पट्टाधारी प्रतिनिधि की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

| नियम स. | पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति |
|---|---|
| नियम 11 (1) | खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन.– (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा।<br>उक्त खदान की खनन योजना का पुनर्विलोकन को इस कार्यालय के पत्रांक- MP/Katni/Limestone/RMP-04/2018-19 दिनांक 22.06.2018 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है..<br>1. **दस्तावेजों की जांच पर यह पाया गया की खनन योजना में स्वीकृत चूना पत्थर (ROM) उत्पादन मात्रा 26228 टन है। जबकि 2022-23 के वार्षिक रिटर्न में रिपोर्ट की गई ROM उत्पादन मात्रा 32668 टन है। वार्षिक रिटर्न में 6440 (ROM) टन का अतिरिक्त उत्पादन दर्ज किया गया है।**<br>2. **निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि खनिज स्टॉक को लीज क्षेत्र के बाहर सीमा स्तंभों (बाउंड्री पिलर) के 4, 5 , 6, 7, 8, 9 एवं 10 के पास रखा गया है\| जो की नियमो का उल्लघन है \| पिछले निरीक्षण के उपरांत दिनांक 27/04/2023 को जारी उल्लंघन पत्र में भी यह उल्लंघन बताया गया है \| अर्थात यह उल्लघन आज भी विद्दमान है\|**<br>3. **खदान में प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।** |
| नियम 55 (1) | **भूवैज्ञानिकों और खनन अभियंताओं के रोजगार** – ( 1 ) इन नियमों के अनुसार गवेक्षण, पूर्वेक्षण या खनन कार्य के प्रयोजन केलिए,<br>(क) प्रत्येक गवेक्षण परमिट धारक एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी को नियुक्त करेगा;<br>(ख) प्रत्येक पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित –सह– खनन पट्टा एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी और एक अंशकालिक खनन इंजीनियर को नियुक्त करेगा;<br>(ग) प्रत्येक खनन पट्टा धारक, निम्न मामले में इन्हें नियुक्त करेगा –<br>(i) श्रेणी 'क' की खानों में, एक पूर्णकालिक खनन इंजीनियर और एक भूविज्ञानी;<br>(ii) श्रेणी 'ख' की खानों में, एक अंशकालिक खनन इंजीनियर और एक अंशकालिक भूविज्ञानी: |

| | |
|---|---|
| | परंतु यह कि पूरी तरह मशीनीकृत 'क' श्रेणी की खानों के मामले में खनन इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों के पास खनन के क्षेत्र में एक पर्यवेक्षी क्षमता में काम करने का कम से कम पाँच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए : **खान में भूविज्ञानी एवं खनन अभियंता की नियुक्ति नहीं हुई है।** |

02. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर –2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।

03. एम सी डी आर –2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर –2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।

04. यदि आप एमसीडीआर 2017 के नियम 55(1) के तहत खदान में भूविज्ञानी एवं खनन अभियंता नियुक्त करने में विफल रहते है तो एमसीडीआर संशोधन नियम 2021 की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03/11/2021 के तहत 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

04. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय,

**Signed by Madhavrao Sabre**
**Date: 08-05-2024 11:46:47**
**Reason: Approved**

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल) :

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
03. जिलाधीश, जिला – कटनी (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो